

छत्तीसगढ़ न्यायिक सेवा

- ☞ शैक्षणिक योग्यता - एल एल०बी०
- ☞ आयु सीमा - 21 से 35 वर्ष
- ☞ (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष की छूट)



परीक्षा का पाठ्यक्रम

परीक्षा तीन चरणों में होगी—

- | | |
|--|---------|
| 1. ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा (बहुविकल्पीय) | 100 अंक |
| 2. मुख्य परीक्षा (व्यक्ति-निष्ठ) | 100 अंक |
| 3. साक्षात्कार | 15 अंक |

ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा

ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा की समय अवधि दो घण्टे होगी, जिसमें 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जो निम्न प्रकार के होंगे—

- I. भारतीय दण्ड संहिता
- II. सिविल प्रक्रिया संहिता
- III. दण्ड प्रक्रिया संहिता
- IV. भारतीय साक्ष्य अधिनियम
- V. भारतीय संविधान
- VI. सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम
- VII. भारतीय संविदा अधिनियम
- VIII. परिसीमा अधिनियम
- XI. छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011
- X. न्यायालय फीस अधिनियम
- XI. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम
- XII. पंजीकरण अधिनियम
- XIII. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता
- XIV. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881
- XV. छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915

मुख्य लिखित परीक्षा

(समयावधि - 3 घण्टे)

मुख्य परीक्षा के लिए प्रारम्भिक परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों में से रिक्तियों के सापेक्ष 1:10 योग्य उम्मीदवारों को बुलाया जायेगा, मुख्य परीक्षा इस प्रकार होगी-

- | | |
|--|--------|
| I. विवाहकों का स्थिरीकरण और निर्णय लेखन (सिविल मामले पर) | 40 अंक |
| II. आरोपों की विरचना तथा निर्णय लेखन (दाण्डिक मामले पर) | 40 अंक |
| III. अनुवाद : | |
| (i) अंग्रेजी से हिन्दी | 10 अंक |
| (ii) हिन्दी से अंग्रेजी | 10 अंक |

साक्षात्कार

मुख्य परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों में रिक्तियों के सापेक्ष 1:3 योग्य उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा। साक्षात्कार कुल 15 अंक का होगा।

“अगर आपको खुद में विजेता नहीं दिखता तो
आप कभी जीत नहीं सकते”



जिग जिगलर